बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार, तिथि २१ अप्रील, १९६४।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि २१ अप्रील, १९६४ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

अल्प सूचित प्रश्न-संख्या "८३" के सम्बन्ध में।

श्री नवल किशोर सिंह—जवाब तैयार नहीं है।

श्री तेजनारायण झा—यह सूचना विभाग का प्रश्न था। सूचना विभाग से राजनीति विभाग में गया। इसका जवाब सचिवालय से ही आ सकता है। सरकार का यह कहना कि जवाब तैयार नहीं है, आश्चर्य मालूम होता है।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या "१४६" के सम्बन्ध में।

श्री नवल किशोर सिंह—जवाब तैयार नहीं है इसलिये समय चाहिये।

अध्यक्ष—जब आप अल्प-सूचित प्रश्न स्वयं स्वीकार करते हैं तो उत्तर तैयार रखना चाहिये।

अध्यक्ष—इसे माननीय मुख्य मंत्री के विवेक पर छोड़ दीजिए।

श्री एकनारायण चौधरी—९ अप्रील १९६४ को माननीय मुख्य मंत्री ने अन्तिरम सहायता की घोषणा कर दी। उसी तरह इस संबंध में भी यदि वे घोषणा कर दें तो सदस्यों को खुशी होगी और वे धन्यवाद के पात्र होंगे।

अध्यक्ष—आग्रह पूर्वक कहें लेकिन सदन में जबर्दस्ती कुछ नहीं कहलाना चाहिये।

श्री एकनारायण चौधरी—क्या मेमोरेन्डम में कहा गया है कि यदि मुख्य मंत्री को मेरे किसी शब्द से चोट पहुंची हो तो उन शब्दावलियों को वापस लेने के लिए और खेद प्रकट करने के लिये तैयार हैं?

अध्यक्ष—वे मुख्य मंत्री से बात करें, इसे सदनमें लाने की जरूरत नहीं है।

श्री तेज नारायण झा—यह बहुत जरूरी सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य बैठ जायं। इस पर....

श्री तेज नारायण झा—बहुत जरूरी सवाल है।

अध्यक्ष—ठीक है, जरूरी सवाल है लेकिन और भी प्रश्न हैं।

श्री तेज नारायण झा—अध्यक्ष महोदय, आप पूरक प्रश्न नहीं स्वीकार करते हैं तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस नियम के अन्तर्गत श्री रेवती कांत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गयी है और उनसे कैफियत तलब की गयी है, वह नियम गजटेड अफसर पर ही लागू होता है, नन-गजटेड या लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए लागू नहीं होता है।

दूसरी बात है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर कैफियत तलब की गयी है, वह रिपोर्ट भरबटिम नहीं है, स्टेनोग्रैफिक रिपोर्ट नहीं है। अतः उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का न कोई ठोस आधार है और न वह कानून कचहरी में जायज ठहर सकती है। उन्होंने तो अभी अपनी कैफियत दी ही नहीं है अतः उनके द्वारा खेद प्रकट करने का सवाल ही कहां उठता है।

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

प्रदीप लैम्प वर्क्स में तालाबन्दी।

२०२। श्री जनार्दन तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पटना सिटी में प्रदीप लैम्प वर्क्स एक फैक्ट्री है जिसमें ८०० मजदूर काम करते हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि फैक्ट्री में गत् बारह दिनों से मिल मालिक ने तालाबन्दी कर दी है ;

(३) क्या यह बात सही है कि फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार यह तालाबन्दी अवैधानिक है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस अवैधानिक कार्य के लिये उस मिल मालिक पर उचित कार्रवाई करके, अतिशीघ्र फैक्ट्री चलवाने का आदेश देना चाहती है ?

श्री वालेश्वर राम—(१) इस कारखाना में लगभग ५४९ ही आदमी काम करते हैं।

(२) नियोजक ने दिनांक २७ फरवरी १९६४ से तालाबन्दी कर दी थी, परन्तु दिनांक २३ मार्च १९६४ से तालाबन्दी उठा ली गयी है।

(३) तालाबन्दी के संबंध में फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत कोई उपबन्ध नहीं है परन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत है। नियोजक के द्वारा तालाबन्दी उचित है, या नहीं, इस विषय के निर्णय के लिये मामला औद्योगिक न्यायालय (इन्डस्ट्रीयल ट्रीबूनल) के सुपुर्द किया गया है।

(४) औद्योगिक विवाद अधिनियन (इन्डस्ट्रीयल डिसप्यूटस ऐक्ट) की धारा १०(३) के अनुसार सरकार द्वारा तालाबन्दी तथा हड़ताल पर रोक लगाए जाने के फलस्वरूप तालाबन्दी उठा ली गयी और दिनांक २३ मार्च १९६४ से कारखाना चालू हो गया है। औद्योगिक न्यायालय के निर्णय उपलब्ध होने पर ही नियोजक के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न उठेगा।

*श्री जनार्दन तिवारी—क्या सरकार इस बात को मानती है कि तालाबन्दी वैधानिक था ?

श्री वालेश्वर राम—यह इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया गया है इसलिए अभी फैसला नहीं लिया जा सकता है कि वैधानिक है, या अवैधानिक।

श्री जनार्दन तिवारी—मैं सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि हमलोग मुख्य मन्त्री से मिले थे तो उस समय लेबर सेक्रेटरी भी थे और हमारे दल के भी कुछ लोग थे।

अध्यक्ष—प्रश्नोत्तर का समय सूचना देने के लिये नहीं है। आप प्रश्न के रूप में पूछें।

श्री जनादन तिवारी—उस समय मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि तालाबन्दी उठा ली जयगी और किसी मजदूर को ससपेंड नहीं किया जायगा लेकिन उनके कहने के बाद भी २४ मजदूरों को नियोजक ने ससपेण्ड कर दिया है तो क्या यह सत्य है ?

श्री वालेश्वर राम—इसकी सूचना अभी सरकार के पास नहीं है। फिर भी यदि कोई ससपेंड होगा और कोई फरदर ऐक्शन लिया जायगा तो मैनेजमेंट की ओर से ट्रिब्यूनल की परमिशन की आवश्यता होगी।

श्री जनार्दन तिवारी—क्या यह बात सही है कि २४ मजदूरों को वहां के मिल मालिक ने ससपेंड कर दिया है ?

श्री बालेश्वर राम—इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री जनार्दन तिवारी—मैं सूचना दे रहा हूं । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि २४ मजदूरों को ससपेंड किया गया है जबकि मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि लोगों को ससपेंड नहीं किया जायगा ।

श्री बालेश्वर राम—इसकी छानबीन की जायगी और देखा जायगा कि इसपर क्या कार्रवाई की जा सकती है ।

*श्री राम सेवक सिंह—क्या यह बात सही है कि इस समय देश में संकट है और ऐसे समय में मिल-मालिक ने फैक्ट्री में ताला बन्द कर के देश के साथ गद्दारी की है ?

श्री बालेश्वर राम—ताला बन्द करना गलत है या नहीं, यह बात ट्रिब्यूनल को सुपुद की गयी है ।

श्री राम सेवक सिंह—क्या मिल-मालिक के विरुद्ध सरकार डिफेन्स ऑफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री बालेश्वर राम—अभी तो मामला ट्रिब्यूनल में है ।

*श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—क्या यह बात सही है कि डिफेन्स ऑफ इंडिया ऐक्ट में यह बात लिखी है कि उत्पादन को जो भी रोकेगा, उसपर कार्रवाई की जायगी ?

अध्यक्ष—आप ऐसा पूरक पूछें जो मूल प्रश्न से उठे ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—इस फैक्ट्री के मालिक से प्रेरित होकर और भी मिल-मालिक ताला बन्द कर सकते हैं इसलिये क्या सरकार ने इस मिल-मालिक को चेतावनी दी है ?

श्री बालेश्वर राम—एक तरफ तो तालाबन्दी का चार्ज है और दूसरी ओर मैनेजमेंट का चार्ज है कि मजदूरों ने हड़ताल की है । दोनों बातें ट्रिब्युनल में हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—मिल-मालिक ने २४ मजदूरों को ससपेंड कर दिया है और जो गलत कदम उठाया है, उसके लिये सरकार इस एमरजेंसी में क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री बालेश्वर राम—इसके संबंध में सरकार को जानकारी नहीं है । मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा और जो उचित तरीका होगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जायगी । यदि इस मामले को ट्रिब्यूनल में भेजने की आवश्यकता होगी तो इसे भेज दिया जायगा ।